



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-19062026-273610  
CG-WB-E-19062026-273610

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3099]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3099]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 18 जून, 2026

का.आ. 3222(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजनाओं को अधिसूचित करती है।

## सारणी

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)	(3)
1.	कांथी- एगरा (26.2 Km.) नई लाइन ।	पश्चिम बंगाल
2.	नंदकुमार-बोलाईपांडा (28.0Km.) नई लाइन ।	
3.	नंदीग्राम- कंडियामारी (नयाचर) (7.0Km) नई लाइन ।	

[फा. सं दपूरे/निर्माण- संगठन /मुख्यालय/ भूमि/ डी-फ्रीज्ड प्रोजेक्ट्स (डब्ल्यूबी)/एसआरपी//1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /(निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]

## NOTIFICATION

Kolkata, the 18th June, 2026

**S.O. 3222(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## TABLE

Sl. no.	Name of Projects	State/Union Territory
(1)	(2)	(3)
1.	Kanthi- Egra (26.2 Km.) new line.	West Bengal
2.	Nandakumar-Bolaipanda (28.0Km.) new line.	
3.	Nandigram- Kandiamari (Nayachar) (7.0Km.)new line.	

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/ De-freezed Projects (WB)/SRP/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin.Officer(Con)/SER